

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2011/2025

United India Insurance Company Ltd., Through Its Legally
Constituted Authority, T.p.hub, 74A, Bhati-N-Plaza, Pal Road,
Jodhpur.

-----Appellant

Versus

1. Smt. Rekha Devi W/o Late Sh. Dharmendra Singh,
Resident Of Heeraton Ka Badiya, Tehsil Bhim, District
Rajsamand.
2. Aditya Singh S/o Late Sh. Dharmendra Singh, Through
Her Natural Guardian Mother Smt. Rekha Devi, By Caste
Rawat, Resident Of Heeraton Ka Badiya, Tehsil Bhim,
District Rajsamand.
3. Sahil Singh S/o Late Sh. Dharmendra Singh, Through Her
Natural Guardian Mother Smt. Rekha Devi, By Caste
Rawat, Resident Of Heeraton Ka Badiya, Tehsil Bhim,
District Rajsamand.
4. Ganga Devi W/o Sh. Kesar Singh, Resident Of Heeraton
Ka Badiya, Tehsil Bhim, District Rajsamand.
5. Dharendra Singh S/o Ekling Singh Rawat, Palra, Post
Sameliya, Tehsil Bhim, District Rajsamand.
6. Ekling Singh S/o Mohan Singh Rawat, C/o Dilip Singh S/o
Mool Chand, R/o Sendora Road, Beawar, District Ajmer.

-----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Jagdish Chandra Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Nikhil Ajmera for Mr. Sandeep Saruparia for res no. 1 to 4

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

21/07/2025

सुना गया। अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्चीगण को छः सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 5 पर नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है अतः औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या 6 की तामील हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी पीएफ व नोटिस दो सप्ताह की अवधि में पेश करे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने पर प्रत्यर्थी संख्या 6 को छः सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किया जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड की 50 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मय ब्याज एक माह की अवधि में अधिकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है तो मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमन्द द्वारा क्लेम याचिका संख्या 97/2023, श्रीमती रेखादेवी बनाम श्री धीरेन्द्रसिंह में पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 24.02.2025 की शेष राशि की वसूली आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अवार्ड के अनुसार क्लेमेंट को राशि अदा कर दी जाये।

क्लेमेंट से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जाये कि यदि इस अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में होता है तो अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई उपरोक्त राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात अधीनस्थ अधीकरण का अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 2067/2025 इस पत्रावली के साथ संलग्न कर छः सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J